22/1/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर पधारे हैं पत्रावली दिनांक 7/2/18 को पेश हो।
6

7.2.18 वकुलाय उप। बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि मंदिर श्री रुघनाथ जी महाराज वाके नांवा की खातेदारी सुदा भूमि ग्राम नांवा के ख.न. 797, 798, 1912/799, 793, 799 कुल रकबा 5.25 हैक्टयर भूमि स्थित हैं मंदिर मूर्ति जो शास्वत नाबालिग हैं कि स्थिति का फायदा उठा कर अप्रार्थीगण ने अतिक्रमण पक्की दिवार का निर्माण कर लिया तथा मंदिर मूर्ति की कृषि भूमि पर नमक प्लांट स्थापित अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर आमादा हैं जिसमें अप्रार्थीगण सफल हो जाते हैं तो मंदिर मूर्ति को भारी नुकशान होगा जिससे उक्त अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी 3 से 8 के नोटिस बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी 1,2 की ओर से अभिभाषक उपस्थित आने के बाद लगातार 15 वर्ष तक जवाब पेश करने हेतु समय दिया जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया हैं। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थना-पत्र साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2055-58 के अनुसार ग्राम नांवा के ख.न. 797, 798, 1912/799, 793, 799 कुल रकबा 5.25 हैक्टयर भूमि मंदिर श्री रुघनाथ जी महाराज वाके देह के नाम दर्ज रिकार्ड हैं, मंदिर मूर्ति जो शास्वत नाबालिग है तथा उक्त कृषि भूमि की आय से मंदिर की सेवा पूजा एवं सार सम्भाल होती हैं उक्त मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण कर जबरन नमक प्लांट स्थापित किया जाता हैं तो मंदिर को भारी नुकशान होगा तथा भूमि से होने वाली आय मंदिर के लिए बन्द

हो जायेगी। जिससे मंदिर को भारी अपूर्णिय क्षति
होगी। उक्त विवादित भूमि मंदिर की खातेदारी
में दर्ज रिकार्ड है जो शाश्वत नाबालिग है
जिससे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का
सन्तुलन प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है।
जिससे प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने
योग्य है।

अत: प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर
दिनांक 3-11-03 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा
आदेश वाद के निर्णय तक मुस्तकिल किया जाता
है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
नावां